जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना स्योहारा **दिनांक- 21.05.2024**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा नकली अल्ट्राटेक सीमेंट का विक्रय करने वाले अभियुक्त को 51 कट्टे नकली अल्ट्राटेक सीमेंट सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.05.2024 को वादी श्री अजय कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी जनपद गाजियाबाद ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि वह आई0आर0आई0एस कम्पनी में बतौर उप प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है तथा अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंपनी ने अपने उत्पादो को बाजार में नकली बनाने व बेचने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया हुआ है। जिसके क्रम में बाजार सर्वे से पता चला कि अनमोल ट्रैडर्स नूरपुर स्योहारा रोड बुढनपुर स्थित दुकान पर अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र नौबार सिंह निवासी ग्राम नियामताबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा नकली अल्ट्राटेक सीमेंट बेचा जा रहा है। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 236/24 धारा 420 भादवि व 63 कॉपीराइट अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त संजीव कुमार पुत्र नौबार सिंह निवासी ग्राम नियामताबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 51 कट्टे नकली अल्ट्राटेक सीमेंट सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- संजीव कुमार पुत्र नौबार सिंह निवासी ग्राम नियामताबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

51 कट्टे नकली अल्ट्राटेक सीमेन्ट

कार्यवाही करने वाली टीम का विवरण :-

1. अजय कुमार, उप प्रबन्धक आई0आई0आर0आई0एस0 मय टीम।
2. थाना स्योहारा पुलिस टीम।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना धामपुर दिनॉक 21.05.2024

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 234/24 धारा 302/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त गाडी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.05.2024 को वादिनी श्रीमती रेनू पत्नी उपेन्द्र निवासी ग्राम मटोरा दुर्गा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जयदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम शीमला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर 2.पिन्टू 3. ऋषिपाल व एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा स्विफ्ट डिजायर गाडी (यूपी 23 एस 1557) से धामपुर आये थे तथा वादिनी के पिता पुखराज (65 वर्ष) की गाडी से कुचलकर हत्या कर दी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 234/24 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुॅचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 234/24 धारा 302/34 भादवि में वांछित अभियुक्त जयदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम शीमला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार (यूपी 23 एस 1557) सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त जयदीप कुमार ने पूछताछ पर बताया कि मैं आर्मी मे हवलदार के पद पर हैड क्वार्टर दिल्ली मे कार्यरत हूॅ। मेरे भाई प्रदीप की शादी अंजलि पुत्री पुखराज सिंह नि0 ग्राम मटौरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर के साथ हुयी थी। प्रदीप व अंजली के बीच आपस मे कहासुनी व मनमुटाव होने लगा इसी कारण अंजलि अपने पिता पुखराज सिंह के घर रह रही थी। अंजलि एव उसके पिता ने हमारे परिवार पर करीब 17 मुकदमे लिखवा रखे है। इसी रंजिश के कारण दिनांक 19.05.2024 को मैंने अपने साथी अभियुक्त पिन्टू पुत्र राकेश निवासी ग्राम शेरगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर के साथ मिलकर योजना बनायी कि पुखराज को गाडी से कुचलकर मार देगें जिससे लोग इसे सडक दुर्घटना समझेंगे। हम दोनों ने अथाई शेख रोड पर जब पुखराज खेत पर काम करने के पश्चात सडक पर आया तभी हमने पुखराज को गाडी से टक्कर मार दी जिससे वह गाडी के आगे गिर गया और पुखराज को गाडी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और गाड़ी अथाई शेख की तरफ भगाकर ले गये और गाड़ी को नीन्दडू एवं प्रयास चौक एवं नगीना चौक होते हुये गाड़ी लेकर दिल्ली चला गया था एवं दिनांक 20.05.2024 को मैं अपनी गाडी रिपेयर हेतु छोड़कर अपनी डियूटी चला गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. जयदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम शीमला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1– स्विफ्ट डिजायर कार रजि. नं0– यूपी 23 एस 1557 (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2.निरीक्षक अता मौहम्मद थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3.उ0नि0 पवन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
4.उ0नि0 साजिद अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
5.उ0नि0 राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
6.मुख्य आरक्षी 859 संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
7.मुख्य आरक्षी 195 लालमन थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर **दिनांक – 21.05.2024**

थाना मंडावर क्षेत्रान्तर्गत खनन से संबंधित प्रकाशित खबर के संबंध में अपडेट प्रेस नोट।

अवगत कराना है कि दिनांक 20.05.2024 को को एक दैनिक समाचार पत्र में थाना मण्डावर क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड बॉर्डर पर अवैध खनन सम्बन्धी खबर प्रकाशित हुई। प्रकाशित शीर्षक में अंकित तथ्यों को संज्ञान में लेकर उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर, खनन निरीक्षक, थानाध्यक्ष मण्डावर व क्षेत्रीय लेखपाल की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर जांच की गयी तो पाया कि M/S BALIYAN TRADERS को खनन अनुभाग, कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर से थाना मण्डावर क्षेत्र के ग्राम शाहपुर खादर में गाटा संख्या 45 व 46/5 में खनन की अनुमति दिनांक 09.11.2023 से 23.12.2023 तक प्राप्त की गयी थी, जिसकी समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी M/S BALIYAN TRADERS के संचालक सुधीर कुमार निवासी ग्राम खानपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा बिना अनुमति के थाना मंडावर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शाहपुर खादर के गाटा संख्या 45 व 46/5 में अवैध खनन करते हुए पाया गया। इस सम्बन्ध में संयुक्त टीम द्वारा जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को प्रेषित की गयी है। अग्रिम कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा की जा रही है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 21.05.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 423/2024 धारा 420 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.05.2024 को वादी श्री वकील अहमद पुत्र नासिर अहमद निवासी ग्राम गोविन्दपुर तहसील नजीबाबाद थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.शमशाद डीलर पुत्र शरीफ निवासी सक्कों का मौहल्ला बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 2.इसरे पुत्र इब्राहीम निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 3.दिलशाद पुत्र नजीर अहमद निवासी मुकरपुर खेमा उर्फ बुखारा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर द्वारा धोखाधडी करके वादी की आराजी का झूठा बैनामा दिखाकर किसी अन्य को विक्रय कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 423/2024 धारा 420 भादवि बनाम शमशाद आदि कुल 03 नपर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.शमशाद डीलर पुत्र शरीफ निवासी सक्कों का मौहल्ला बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 2.दिलशाद पुत्र नजीर अहमद निवासी मुकरपुर खेमा उर्फ बुखारा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.शमशाद डीलर पुत्र शरीफ निवासी सक्कों का मौहल्ला बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

2.दिलशाद पुत्र नजीर अहमद निवासी मुकरपुर खेमा उर्फ बुखारा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त शमशाद उपरोक्त –

मु0अ0सं0 844/2023 धारा 120B/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 423/2024 धारा 420 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त –

मु0अ0सं0 0423/2024 धारा 420 भादवि भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.व0उ0नि0 श्री मृदुल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 1410 रवि अन्तिल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.कां0 1084 मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ   **दिनांक 21.05.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने वांरटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त बलविन्दर सिंह उर्फ बल्ली पुत्र इन्द्रजीत सिंह निवासी मौ0 मौहम्मदपुर राजौरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बलविन्दर सिंह उर्फ बल्ली पुत्र इन्द्रजीत सिंह निवासी मौ0 मौहम्मदपुर राजौरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 मनोज कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. हे0का0 60 राकेश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना चांदपुर दिनॉक 21.05.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 243/24 धारा 323/452/504/304 भादवि में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 18.05.2024 को वादी श्री खचेडू खां पुत्र नन्वा खां निवासी ग्राम चेहली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण इकरामुद्दीन व उसके बडे भाई इसरत पुत्रगण इज्जत नि0 ग्राम चेहली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने वादी के घर में घुसकर वादी व उसकी पत्नी के साथ गाली गलौच की व लाठी डण्डा व ईट से वार किया जिससे वादी के पेट में गम्भीर चोंटे आयी। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 243/24 धारा 452/323/504/308 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 18.05.2024 को वादी की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 308 भादवि का लोप कर धारा 304 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 243/24 धारा 452/323/504/304 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1. इकरामुद्दीन पुत्र इज्जत 2.इसरत पुत्र इज्जत निवासीगण ग्राम चेहली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक ईट व एक पत्थर का टुकडा सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. इकरामुद्दीन पुत्र इज्जत निवासी ग्राम चेहली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. इसरत पुत्र इज्जत निवासी ग्राम चेहली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 865 धन सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी 2048 इंसाद खां थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद दिनॉक 21.05.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 235/24 धारा 363/376/323 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.05.2024 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाया गया । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 235/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 18.05.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376/323 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 235/24 धारा 363/376/323 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 में वांछित अभियुक्त तफशीर पुत्र तहसीन निवासी मौ0 लुकमानपुरा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. तफशीर पुत्र तहसीन निवासी मौ0 लुकमानपुरा कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 नरेन्द्र कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.आरक्षी 1943 दीपक पुण्डीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद दिनॉक 21.05.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 244/24 धारा 366/376/506/328 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 17.05.2024 को वादिनी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 14.05.2024 को अभियुक्त शानू पुत्र रईस निवासी ग्राम बौरेकी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया तथा अभियुक्त के परिजनों द्वारा वादिनी को जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गलत काम किया। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 244/24 धारा 363/376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 363 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 का लोप कर धारा 366/328 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 244/24 धारा 366/376/506/328 भादवि में वांछित अभियुक्त शानू उर्फ शहनवाज पुत्र रईस निवासी ग्राम बौरेकी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. शानू उर्फ शहनवाज पुत्र रईस निवासी ग्राम बौरेकी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.का0 815 सचिन कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर **दिनांक 21.05.2024**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 191/24 धारा 147/148/149/323/504/506/336/452/307 भादवि व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट तथा मु0अ0सं0 193/24 धारा 307/323/504/506 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.05.2024 को वादी श्री हरवीर सिंह पुत्र रामकिशन सिंह निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर देकर अवगत कराया कि अभियुक्तगण 1- यश पुत्र विपिन उर्फ पप्पू निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2- प्रशान्त उर्फ चंडी पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 3- सोहित उर्फ लुक्का पुत्र बीरभान निवासी मौ0 रविदास नगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 02 अज्ञात अभियुक्तो द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी की पत्नी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना तथा हाथों में शस्त्र लेकर धमकाना व जान से मारने की नीयत से फायर करना तथा जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 191/24 धारा 147/148/149/323/504/506/336/452/307 भादवि व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

दिनांक 20.05.2024 को अभियुक्तगण 1- जुनैद पुत्र शाकिर निवासी मौ0 शहीदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2- यश पुत्र विपिन उर्फ पप्पू निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 3- निगम पुत्र नामालूम द्वारा पीडित के साथ मारपीट करने तथा इस संबंध में वीडियो वायरल किये जाने के संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 193/24 धारा 307/323/504/506 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.05.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 191/24 धारा 147/148/149/323/504/506/336/452/307 भादवि व 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट व मु0अ0सं0 193/24 धारा 307/323/504/506 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त यश पुत्र विपिन कुमार उर्फ पप्पू निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा मु0अ0सं0 193/24 धारा 307/323/504/506 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त जुनैद पुत्र शाकिर निवासी मौ0 शहीदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

यश पुत्र विपिन कुमार उर्फ पप्पू निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जुनैद पुत्र शाकिर निवासी मौ0 शहीदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- माधो सिंह बिष्ट, निरीक्षक अपराध, थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी 1588 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद दिनांक- 21.05.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर 20 बुलेट मोटरसाइकिलों को सीज किया गया तथा 10 मॉडीफाइड साइलेन्सरों को उतरवाया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 20.05.2024 से 21.05.2024 तक कस्बा नजीबाबाद में मॉडिफाइड साइलेन्सर/पटाखे जैसी तेज आवाज करने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मॉडिफाइड साइलेन्सर लगी 20 बुलेट मोटरसाइकिलों को सीज किया गया तथा 10 बुलेट मोटरसाइकिलों से मॉडिफाइड साइलेन्सर उतरवाये गये।

बिजनौर पुलिस द्वारा जनपद में मॉडिफाइड साइलेन्सर लगी बुलेट मोटरसाइकिलों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा भविष्य में भी मॉडिफाइड साइलेन्सर लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना धामपुर   दिनॉक 22.05.2024

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 234/24 धारा 302/34 भादवि में वांछित अभियुक्त को सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.05.2024 को वादिनी श्रीमती रेनू पत्नी उपेन्द्र निवासी ग्राम मटोरा दुर्गा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जयदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम शीमला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर 2.पिन्टू 3. ऋषिपाल व एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा स्विफ्ट डिजायर गाडी (यूपी 23 एस 1557) से धामपुर आये थे तथा वादिनी के पिता पुखराज (65 वर्ष) की गाडी से कुचलकर हत्या कर दी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 234/24 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुॅचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.05.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 234/24 धारा 302/34 भादवि में वांछित अभियुक्त पिन्टू चौहान पुत्र राकेश चौहान निवासी ग्राम शेरगढ थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट– दिनांक 21.05.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त जयदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम शीमला थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त गाडी सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त पिन्टू चौहान ने पूछताछ पर बताया कि मेरी अभियुक्त जयदीप से अच्छी जान पहचान व दोस्ती है। दिनांक 19.05.2024 को जयदीप मेरे पास आया और ग्राम मटोरा दर्गा के प्रधान अवधेश प्रताप सिंह से बात करने के बहाने अपने साथ ग्राम मटोरा दर्गा ले गया। अपनी पारीवारिक रंजिश के चलते दिनांक 19.05.2024 को हम दोनों ने मिलकर योजना बनायी कि पुखराज को गाडी से कुचलकर मार देगें जिससे लोग इसे सडक दुर्घटना समझेंगे। हम दोनों ने अथाई शेख रोड पर जब पुखराज खेत पर काम करने के पश्चात सडक पर आया तभी हमने पुखराज को गाडी से टक्कर मार दी जिससे वह गाडी के आगे गिर गया और पुखराज को गाडी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और गाड़ी अथाई शेख की तरफ भगाकर ले गये और नींदडू एवं प्रयास चौक होते हुए नहटौर से नूरपुर पहुॅचे तभी जयदीप ने मुझे चांदपुर तिराहे पर उतार दिया और स्वयं दिल्ली चला गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. पिन्टू चौहान पुत्र राकेश चौहान निवासी ग्राम शेरगढ थाना शिवालाकलां बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2.निरीक्षक अता मौहम्मद थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3.उ0नि0 पवन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
4.उ0नि0 साजिद अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
5.उ0नि0 राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
6.मुख्य आरक्षी 859 संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
7.मुख्य आरक्षी 195 लालमन थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 21.05.2024**

थाना नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत टेंपो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक युवक की दुखद मृत्यु हो जाने एवं स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.05.2024 को थाना नूरपुर क्षेत्रान्तर्गत, नूरपुर – धामपुर मार्ग पर उत्सव गार्डन के निकट सवारियों से भरा एक टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। उक्त दुर्घटना में 1.श्रषभ कुमार (उम्र 16 वर्ष) पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम अथाई अहीरपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.मुकेश (उम्र करीब 28 वर्ष) पुत्र महावीर निवासी नानूखेडा थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा 3.धर्मवीर (उम्र करीब 50 वर्ष) पुत्र चन्द्रपाल 4.मिथलेश (उम्र करीब 40 वर्ष) पत्नी धर्मवीर निवासीगण पाडली बसेडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर घायल हो गये। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार हेतु सीएचसी, नूरपुर भेजा गया जहाँ चिकित्सकों ने श्रषभ उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया तथा अन्य तीन घायलों को जिला चिकित्सालय, बिजनौर के लिये रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा मृतक एवं घायलों के परिजनों को सूचित किया गया तथा शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। घटना के सम्बन्ध में थाना नूरपुर पर अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।